प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) पिथिसर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

उनवान

प्रभुसिंह आदि ..... बनाम राजस्थान सरकार .....

दावा बाबत दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

मुकदमा नम्बर :– 83/2022

निर्णय दिनांक :– 27-05-22

वादी की ओर से 27-05-22 की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27-05-22 को **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम कुनलीसर, खाता सं. 88 खा.नं. 845/46 में अंकित कमला कंवर पत्नी दीपाराम, प्रभुसिंह पुत्र दीपाराम, महेन्द्रसिंह पुत्र दीपाराम, शायर कंवर पुत्री दीपाराम के स्थान पर कमला कंवर पत्नी दीपसिंह, प्रभुसिंह पुत्र दीपसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र दीपसिंह, शायर कंवर पुत्री दीपसिंह नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार चूरू उसानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27-05-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय अ[illegible] क[illegible] फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:00:03 IST
Reason: SelfAttested

ना.स. → 1302 / 27-05-22